भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 252
दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए

ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस)

252. **श्री सतीश कुमार गौतमः**
श्री राहुल सिंह लोधीः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए औपचारिक आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उनकी गारंटी के संबंध में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली के माध्यम से शुरू की गई पहलों की स्थिति क्या है;
(ख) लंबित आश्वासनों के प्रलेखन, अलर्ट भेजने और निगरानी के लिए शुरू की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त डिजिटल ढांचा संसद के दोनों सदनों में मंत्री द्वारा दिए गए लंबित आश्वासनों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति को सक्षम बनाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) कार्यान्वयन में विलंब को कम करने और विभिन्न मंत्रालयों की विधायी दायित्वों के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को "ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस)" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 252 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

(क) (क) से (घ) संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए सरकारी आश्वासनों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रसंस्करण और निगरानी के लिए 'ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली' (ओएएमएस) नामक एक केंद्रीकृत वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह प्रणाली संसदीय कार्य मंत्रालय, दोनों सदनों की सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी समन्वय को बढ़ावा देते हुए सरकारी आश्वासनों के कुशल प्रसंस्करण और निगरानी को सुगम बनाती है।

ओएएमएस सरकारी आश्वासनों के सृजन और प्रसंस्करण, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, डिजिटल अभिलेखों के रख-रखाव, ऑनलाइन स्थिति की ट्रैकिंग और संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत एवं प्रसंस्करित करने के लिए एक कार्यप्रवाह-आधारित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्वचालित मासिक अनुस्मारक भी जनित करता है।

ओएएमएस, संसदीय कार्य मंत्रालय और दोनों सदनों की सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी आश्वासनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह अद्यतन स्थिति और संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराकर लंबित आश्वासनों की समीक्षा को सुगम बनाता है और जहां आवश्यक हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को समितियों के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए प्रत्यक्ष होने में सहायता करता है। ओएएमएस समय-विस्तार तथा आश्वासनों को विलोपित करने संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने एवं उनके परीक्षण की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे सभी हितधारकों के मध्य निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक समन्वय स्थापित हो पाता है।

त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ओएएमएस के माध्यम से लंबित सरकारी आश्वासनों की नियमित रूप से निगरानी करता है, जो ओएएमएस पोर्टल (https://oams.nic.in) के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन प्रतिवेदनों का परीक्षण करता है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियों के विचारार्थ समय विस्तार और आश्वासनों को समाप्त करने के प्रस्तावों का प्रसंस्करण करता है, तथा स्वीकृत कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसद के संबंधित सदनों के पटल पर रखने के लिए प्रसंस्करित करता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों की उनके विधायी दायित्वों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाते हुए सरकारी आश्वासनों की निगरानी, अभिलेख प्रबंधन, पारदर्शिता, समन्वय और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया है। मंत्रालय ओएएमएस की समय-समय पर समीक्षा भी करता है और सरकारी आश्वासनों की निगरानी तथा प्रबंधन में इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए जहां जरूरी हो वहां आवश्यक सुधार भी किया जाता है।
